2014 का विधेयक संख्यांक 187

[दि नेशनल कैपिटल टैरीटरी आफ दिल्ली (स्पेशल प्रोविजन्स) अमेंडमेंट बिल, 2014 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2014

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2014 है ।

वृहत् नाम का संशोधन ।

2011 का 20

2. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, "31 दिसंबर, 2014 तक अतिरिक्त अवधि के लिए" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2017 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

प्रस्तावना का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम में, प्रस्तावना के अंतिम पैरा में, "31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के लिए" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के लिए" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के आरंभिक भाग में, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2014 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2017 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) उपधारा (3) में, "31 दिसंबर, 2014 तक " शब्दों और अंकों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2017 तक " शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) में, "31 दिसंबर, 2014 के पूर्व किसी भी समय" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2017 के पूर्व किसी भी समय" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिल्ली के व्यावहारिक विकास में आश्रय, जिसके अंतर्गत आबादकर बस्तियों, और अन्य अवसंरचना सुविधाएं भी हैं, के निबंधनानुसार उनकी अपरिहार्य विवक्षाएं और प्रभाव थे । इसका परिणाम सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, गंदी बस्तियों की वृद्धि, अप्राधिकृत संनिर्माण आवासीय क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिकरण तथा आवास की अपर्याप्तता की समस्याएं हैं ।

2. इसके अतिरिक्त उस समय जब दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी) तैयार किया जा रहा था तब दंडात्मक कार्रवाई से कतिपय प्रकार के अप्राधिकृत विकासों की संरक्षा करने हेतु दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006, 19 मई, 2006 को अधिनियमित किया गया था जो एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी था । इसके पश्चात् ऐसे ही अधिनियम आए जो एक एक वर्ष के लिए भी प्रभावी थे । तथापि, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है और वह 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त हो रहा है ।

3. 2011 के उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ी समूहों के लिए पुन:स्थापन या पुनर्वास, पथ विक्रेताओं का विनियमन, आप्राधिकृत कालोनियों का विनियमन, ग्राम आबादी क्षेत्रों और उनके विस्तार तथा विद्यमान फार्म हाउसों, कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, भंडारों, भांडागारों और गोदामों का विनियमन विशेष भांडागारों और गोदामों का विनियमन ; विशेष क्षेत्रों के लिए विद्यमान गोदामों समूहों तथा भवन विनियमों के पुनर्विकास के लिए सुव्यवस्थित ठहराव किए जाने थे ।

4. जबकि अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नीतियों, संनियमों और रणनीतियों को तैयार करने में प्रगति हुई है । दिल्ली राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र में वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान रखते हुए व्यवस्थित ठहरावों को लाने के लिए और समय की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत विकासों के लिए संनियमों, नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों जिसके अन्तर्गत अप्राधिकृत कालोनियों को विनियमन की जटिलताएं भी हैं जिन्हें पुनरीक्षित दिल्ली मास्टर प्लान-2012 के अनुरूप लाने के लिए समुचित रूप से उपांतरित किए जाने की आवश्यकता भी होगी । दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के पुनर्विलोकन का 2015 के प्रारंभ में पूरा किए जाने की संभावना है ।

5. समय के विस्तार का उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र में दंडात्मक कार्रवाई से केवल अप्राधिकृत विकासों के कतिपय रूपों की संरक्षा करने के लिए ही नहीं है बल्कि इस संबंध में संनियम, नीति मार्गदर्शी सिद्धांत तथा व्यवहार्य रणनीतियों के साथ-साथ योजना के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने के लिए सरकारी अभिकरणों को अवसर उपलब्ध कराना भी है ।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (2011 का 20) के उपबंधों का 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2017 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है ।

नई दिल्ली ;
12 दिसम्बर, 2014

एम. वेंकैया नायडू

उपाबंध

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 20) से उद्धरण

* * * * * * *

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

* * * * * * *

और यह समीचीन है कि ऊपर निर्दिष्ट नीतियों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की बाबत किसी अभिकरण द्वारा किसी दांडिक कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता को राहत देने और अपरिहार्य कठिनाइयों तथा अपूर्णनीय हानि को कम करने का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए जारी रखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के निबंधनों के अनुरूप कोई विधि हो ;

* * * * * * *

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अवधि ।

1. (1) * * * * * *

(4) यह 31 दिसम्बर, 2014 को, सिवाय उन बातों के, प्रवृत्त नहीं रहेगा, जो ऐसे प्रवृत्त न रहने के पूर्व की गई हों या जिनका किए जाने का लोप किया गया हो, और ऐसे प्रवृत्त न रहने पर साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 इस प्रकार लागू होगी, मानो यह अधिनियम किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो । 1997 का 10

* * * * * * *

प्रवर्तन का प्रास्थगित रखा जाना ।

3. (1) * * * * * *

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सभी सूचनाएं निलंबित की गई समझी जाएंगी और 31 दिसम्बर, 2014 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि—

(क) उसका निर्माण उपधारा (2) में यथा प्रगणित विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व किया जाता है ;

(ख) वह प्रवृत्त सुरक्षा मानकों या ऐसी अन्य सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुरुप हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ; और

(ग) वह केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरक्षा के संबंध में जारी निदेशों, यदि कोई हैं, का अनुपालन करता है :

परन्तु यह कि किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित होने की दशा में संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का पूर्व

—3590LS(CRC)—

अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, 31 दिसम्बर, 2014 के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में वर्णित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत छूट को, अधिसूचना द्वारा, वापस ले सकेगी ।

* * * * * * *

GMGIPMRND—3590LS(CRC)—12-12-2014.

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2014 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
1	अंग्रेजी नाम	प्रोविजन्स) अमेंडमेंट	प्रोविजन्स) सेकेंड ऐक्ट अमेंडमेंट
1	हिन्दी नाम	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2014	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम संशोधन विधेयक, 2014
1	4	(विशेष उपबंध) संशोधन	(विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम संशोधन
3	11	लिए भी	लिए ही
3	15	आप्राधिकृत	अप्राधिकृत
3	22 और 29	राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र